

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेशचंद जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 30/2015

RCMS No. 2015/00045

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
छैलसिंह पुत्र पदमसिंह, जाति भाटी राजपूत, निवासी भांगेसर, तहसील पाली, जिला पाली		1. हेमा पुत्र भीखा, जाति भाट, निवासी भांगेसर, तहसील पाली, जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भांगेसर जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति -

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री रेवतसिंह केसरिया विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से



—: निर्णय :-

दिनांक:- 27.02.2020

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत भांगेसर के आदेश दिनांक 23.11.1975 जो अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 9589 जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2019 को प्रस्तुत कर प्रार्थी छैलसिंह की मृत्यु दिनांक 1.1.2019 को होने बाबत सूचित किया जिसकी प्रति उसी रोज वकील प्रार्थी को दी गई वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का आदिनांक न तो जवाब पेश किया गया न ही स्व. छैलसिंह के वारिसान की सूची ही प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि समयावधि में वकील प्रार्थी द्वारा स्व. छैलसिंह के वारिसान की सूची पेश नहीं की गई इसलिए प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावें। वकील प्रार्थी द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। चूंकि प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में होने से गुणावगुण में निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के इन्तकाल के पश्चात समयावधि में का0मु0 पत्रावली पर लेने हेतु आवेदन मय वकालतनामा अधिवक्ता प्रार्थी या किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया। इस वजह से प्रार्थी के इन्तकाल के साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता के पास पैरवी हेतु पॉवर नहीं रह जाते है। साथ ही ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भांगेसर प.स. पाली के पत्रांक /2017/एस.पी./1 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार ग्राम


जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत भांगेसर द्वारा मिसल कायम किए बिना एवं प्रस्ताव लिए बिना ही पट्टा संख्या 9589 दिनांक 23.11.1975 जारी किया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत पंचायत नियमों की पालना की गई अथवा नहीं, जैर निगरानी पट्टे बाबत प्रस्ताव लिया गया अथवा नहीं इसकी जांच नहीं की जा सकती है। न ही प्रार्थी द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेजी सबूत आदिनांक तक पेश किये गये फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल मिसल किया गया।



(दिनेशचंद जैन)

जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली